



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2212]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 30, 2009/पौष 9, 1931

No. 2212]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 30, 2009/PAUSA 9, 1931

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2009

का.आ. 3313(अ).—केन्द्र सरकार, दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2009 की संख्या 5) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 5, धारा 6 और 21(ख) को छोड़कर, उपर्युक्त अधिनियम के शेष प्रावधानों को एतद्द्वारा 31 दिसम्बर, 2009 से प्रवृत्त होने की तारीख के रूप में घोषित करती है।

[फा. सं. 1/1/2007-न्यायिक एकक-खंड VI]

सतीश चन्द्र श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2009

S.O. 3313(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Code of Criminal Procedure (Amendment) Act, 2008 (5 of 2009), the Central Government hereby appoints the 31st day of December, 2009, as the date on which the provisions of the said Act, except Section 5, Section 6 and clause (b) of Section 21, shall come into force.

[F. No. 1/1/2007-Judl. Cell-Vol. VI]

S. C. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

N Home 3313 of d 30 12 2009